भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1060

बुधवार, 10 फरवरी, 2021 / 21 माघ, 1942 (शक)

केन्द्रीय श्रमिकों संघों द्वारा शिकायतें

1060. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा किए गए शिकायतों पर उत्तर दिया है या उत्तर देने का इरादा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय श्रमिकों संघों द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में उपचारात्मक उपाय करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने चार नियमों नामत: मजदूरी संहिता (केन्द्रीय) नियमावली, 2020, औद्योगिक संबंध (केन्द्रीय) नियमावली, 2020, सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय) नियमावली, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाएं (केन्द्रीय) नियमावली, 2020 को आम जनता सहित हितधारकों से टिप्पणियां मंगाने के लिए पूर्व प्रकाशित किया है। इन प्रारूप नियमों पर चर्चा करने के लिए 24 दिसम्बर, 2020 और 12 जनवरी, 2021 को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन भी किया गया था।

इन प्रारूप नियमों पर वास्तविक बैठकों का आयोजन करने का अनुरोध करते हुए 10 ट्रेड यूनियनों से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। तद्नुसार, 20 जनवरी, 2021 को वास्तविक रूप में तृतीय त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था। नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व ऐसी त्रिपक्षीय बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों पर समुचित रूप से विचार किया जा रहा है।

*****